राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक : 12666 दिनांक : 10/12/19

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2019–20 की बजट घोषणा के अनुसार जयपुर व जोधपुर संभाग मुख्यालयों पर 50–50 की क्षमता के हॉफ–वे होम संचालित किये जाने है। ये हॉफ–वे होम ऐसे मानसिक रोगियों के लिए पुनर्वास गृह हैं जिन्हें अस्पताल में आवास की आवश्यक्ता नही है तथा जिन्हें रहने के लिए अपने घर भी उपलब्ध नही है। इन पुनर्वास गृहों का उद्देश्य ऐसे मानसिक रोगियों में अधिक सुधार लाते हुए उन्हें स्वयं के दैनिक कियाकलापों में आत्मनिर्भर बनाना एवं यथासंभव व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है।

उक्त हॉफ–वे होम का संचालन जयपुर संभाग मुख्यालय पर सेठी कॉलोनी स्थित राजकीय भवन में तथा जोधपुर संभाग मुख्यालय पर किराये के भवन में किया जाना है।

उक्त हॉफ–वे होम का पृथक–पृथक संचालन करने हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाऐं अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10/01/2020 तक निदेशालय विशेष योग्यजन में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्धारित आवेदन पत्र, आवेदन की पात्रता हेतु शर्ते एवं दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त विषय पर स्पष्टीकरण /चर्चा हेतु कार्यालय निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन में कार्यालय समय पर सम्पर्क किया जा सकता है। अंतिम तिथी के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव मान्य नही होंगे।

अतिरिक्त निदेशक

हॉफ–वे होम के संचालन हेतु संस्थाओं के लिए पात्रता एवं शर्तें:–

हॉफ–वे होम के संचालन हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संस्था के लिए पात्रताएँ निम्नानुसार होंगी:–

1. संस्था निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 1995 अथवा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत होनी चाहिए।
2. संस्था सोसायटी एक्ट 1958 द्वारा पंजीकृत होनी चाहिए।
3. संस्था द्वारा विशेष योग्यजनों अथवा अन्य निराश्रितों हेतु आवासीय पुनर्वास गृह के संचालन का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
4. संस्था द्वारा हॉफ–वे होम में सेवाएॅ देने हेतु निम्नानुसार कार्मिकों का सहमति पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करें:–
   - 2, प्रशिक्षित मनोचिकित्सक,
   - 2, जनरल फिजिशियन,
   - 2, व्यावसायिक प्रशिक्षिक
   - 4, R.C.I. द्वारा प्रमाणित विशेष प्रशिक्षण
5. आवेदन के समय भवन की सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था एवं आवासीयों के लिए भोजन की व्यवस्था का विस्तृत प्लान प्रस्तुत किया करे।
6. संस्था को आवासीयों पर निम्नानुसार मानवीय संसाधन रखने होंगे:–
   - 2 हाउस इन्चार्ज
   - 2 कार्यालय सहायक
   - 2 सामाजिक कार्यकर्ता
   - 2 व्यावसायिक प्रशिक्षक
   - 4 प्रशिक्षित देखभालकर्ता
   - 4 सहायक
7. संस्था द्वारा हॉफ–वे होम में आवासीयों के मनोरंजन हेतु पर्याप्त क्रियाकलाप कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

8. संस्था द्वारा आवासीयों की नियमित काउन्सलिंग करवाई जायेगी।

9. जोधपुर में संचालित होने वाले हॉफ–वे होम के लिए उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी अनिवार्य होंगी:–

- किराये के भवन का विस्तृत प्लान प्रस्तुत करें।
- भवन शहर के बाहर नही होना चाहिए।
- भवन ग्राउन्ड़ फ्लोर पर होना चाहिए।
- भवन की सुरक्षा से सम्बन्धित बाउन्ड्री वॉल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन के मकान मालिक का सहमति पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायें।
- संस्था द्वारा हॉफ–वे होम के संचालन के लिए स्वयं द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह से पृथक भवन एवं पृथक मानवीय संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

हॉफ–वे होम संचालन के उद्देश्य

1. हॉफ–वे होम का उद्देश्य ऐसे मानसिक रोगियों, जिन्हें अस्पताल में रहकर ईलाज करवाने की आवश्यक्ता नही है तथा जिनके पास अपना परिवार एवं घर भी उपलब्ध नही हैं, उन्हें रखकर उनके मानसिक रोग में सुधार के साथ–साथ उन्हें जीवन–कौशल में प्रशिक्षित करना है। जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें तथा समाज में सहजता से शामिल हो सकें।

    हॉफ–वे होम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समयबद्ध तरीके से इस प्रकार तैयार किया जाना है कि वह स्वयं की बेहतर देखभाल कर सकें।

2. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट पिटिशन गौरव कुमार बंसल बनाम उत्तर–प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी है।

3. हॉफ–वे होम में प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक रोग का ईलाज, उनके अन्य शारीरिक रोगों का आवश्यक्तानुसार ईलाज, नियमित फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा काउन्सलिंग नियमित एवम् सतत रूप से करवायी जायेगी।

4. हॉफ–वे होम का रखरखाव, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, उनके भोजन एवं पोषण की व्यवस्था तथा काम करने वाले कार्मिकों के स्वयं के स्वास्थ्य, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

5. किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु पुख्ता सुविधा एवम् इन्तजाम होने अपेक्षित है।

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

हॉफ-वे-होम के संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्र

1 संस्था का नाम :

2 पता, दूरभाष नं. एवं ई-मेल :

3 क्या संस्था :
अ. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 52 (2) अथवा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 (1) के अन्तर्गत पंजीकृत है? प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
ब. सोसायटी अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है? प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

4 संस्था की स्थापना की दिनांक एवं वर्ष :

5 संस्था का प्रकार : कृपया बताये कि संस्था ने पूर्व में किस अवधि में मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह का संचालन किया है? उक्त मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में कितने बच्चों को रखा गया है? उन बच्चों हेतु लगाये गये मानवीय संसाधनों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। :

6 क्या संस्था राज्य सरकार से किसी योजना में पूर्व में अनुदान प्राप्त कर रही है? विवरण अंकित करें। :

7 क्या संस्था राष्ट्रीय स्तर की है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण भारत में संचालित गतिविधियों का प्रकार व विवरण संलग्न करें। :

दिनांक :

अध्यक्ष/ सचिव के हस्ताक्षर